


# कार्यालय वनमंडल अधिकारी, नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल, सागर (म.प्र.)



कार्यालय का पता - पोद्दार कॉलोनी के सामने, तिली रोड, फॉरेस्ट केम्पस,  
सागर (म.प्र.) फोन/फैक्स नं. - 07582-236867  
e-mail - dfowlndehi@mp.gov.in



क्रमांक/मा.चि./2022/4596  
प्रति,

सागर, दिनांक - 21/11/2022

महाप्रबंधक,  
म.प्र. जल निगम मर्यादित,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई, दमोह।

**विषय :-** नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत जबेरा-तेंदूखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना के तहत मार्ग के राइट-ऑफ-वे में भूमिगत पाइप लाइन डाले जाने हेतु 0.17664 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, दमोह को उपयोग पर देने की वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुमति। (FP/MP/Pipeline/154073/2022)

**संदर्भ :-**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म.प्र. भोपाल का आपको संबोधित पत्र क्र./मा.चि./जबेरा-तेंदूखेड़ा/20.12/5950 दिनांक 12.08.2022.
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/528 दिनांक 14.06.2022.
3. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर का पत्र क्र./3259 दिनांक 17.08.2022.
4. कार्यालयीन पत्र क्र./3900 दिनांक 30.08.2022.
5. आपका पत्र क्र./1708 दिनांक 19.10.2022.

-----0-----


विषयांकित में लेख है कि ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/PIPELINE/154073/2022 जबेरा-तेंदूखेड़ा ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत अभयारण्य क्षेत्र में आवेदित वनभूमि रकबा 0.17664 हे. भूमि के संयुक्त निरीक्षण उपरांत भाग-2 की पूर्ति कर इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 528 दिनांक 14.06.2022 द्वारा प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर को प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त प्रेषित प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर के संदर्भित पत्र क्रमांक 3259 दिनांक 17.08.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देश इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। प्रकरण में एन.पी.व्ही. की राशि ऑनलाईन चालान क्रमांक UTR No. SBIN52229736212 दिनांक 19.10.2022 द्वारा जमा की जा चुकी है। अतः वरिष्ठ द्वारा जारी निर्देशों के पालन में आवेदित/सीमांकित वनभूमि रकबा 0.17664 हे. में पाइप लाइन बिछाने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित अधिरोपित शर्तों के अधीन सशर्त प्रदान की जाती है :-

1. आवेदक संस्था को उपयोग पर दी जाने वाली अभयारण्य भूमि का स्वरूप वनभूमि ही रहेगा।
2. प्रेषित प्रस्तावानुसार प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र में पीने के पानी की भूमिगत पाइप लाइन बिछायी जावे। भूमिगत पाइप लाइन का रि-एलाइन्मेंट न किया जावे।
3. प्रकरण में कार्य की प्रगति का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन संरक्षित क्षेत्र प्रभारी के माध्यम से प्रेषित किया होगा।
4. उक्त प्रस्तावानुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जावे एवं वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाया जावे।
5. निर्माण कार्य सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व न किया जावे, जिससे वन्यप्राणियों पर कोई दुष्प्रभाव न हो।
6. भूमिगत पीने के पानी की पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु ट्रंच अधिकतम 2 मीटर से अधिक गहराई में न खोदा जावे।
7. आवेदक विभाग द्वारा 500 मीटर ट्रंच खुदाई कर भूमिगत पीने के पानी की पाइप लाइन डाले जाने के उपरांत उक्त ट्रंच को भरकर/समतलीकरण करने के उपरांत ही अगली 500 मीटर ट्रंच की खुदाई की जावेगी।
8. निर्माण कार्य हेतु समस्त निर्माण सामग्री अभयारण्य क्षेत्र के बाहर से लाई जायेगी।

9. अभयारण्य क्षेत्र के भीतर पत्थर तोड़ने/वनभूमि में किसी भी प्रकार का उत्खनन/नदी-नालों से अवैध रेत उत्खनन/वृक्ष कटाई/आग जलाना/वन संपदा एवं वन्यप्राणियों को नुकसान पहुँचाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। यह सुनिश्चित करने का दायित्व उपयोगकर्ता विभाग का होगा।
10. निर्माण कार्य में संलग्न लोगों को, कार्य आरंभ करने के पूर्व ही, इस कार्य के दौरान क्या-क्या सावधानियाँ रखना हैं, इसके संबंध में जागरूक कर दिया जाये।
11. अभयारण्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार का श्रमिक कैम्प नहीं लगाया जावे। श्रमिक कैम्प अभयारण्य क्षेत्र की सीमा से कम से कम 250 मीटर दूर रखा जावे।
12. निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री अभयारण्य क्षेत्र से कम से कम 250 मीटर से अधिक दूरी पर संग्रहण किया जावे।
13. प्रकरण में यदि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनुमति की आवश्यकता हो तो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल से इसकी पृथक से अनुमति प्राप्त की जावे।
14. निर्माण कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण हो जाने पर आवेदक संस्था द्वारा इसकी सूचना संबंधित संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, नौरादेही (वन्यप्राणी) वनमण्डल सागर को प्रेषित की जावेगी।
15. निर्माण एजेन्सी या उसके कॉन्ट्रैक्टर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रवधानों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
16. निर्माण कार्य के संबंध में संरक्षित क्षेत्र प्रभारी/वनमण्डलाधिकारी, नौरादेही (वन्यप्राणी) वनमण्डल, सागर अथवा संबंधित वनाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
17. वनक्षेत्र में जिस स्थल से पाईपलाईन गुजर रही है, यदि वहां वन विभाग के शासकीय कार्यालय/भवन स्थापित है, तो आवेदक संस्थान उक्त शासकीय कार्यालय/भवन में एक पानी का कनेक्शन स्वयं के व्यय पर स्थापित करेंगे।
18. उक्त शर्तों/निर्देशों की अवहेलना अथवा पालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
19. भविष्य में यदि शासन द्वारा आवेदक संस्थान से अतिरिक्त राशि जमा करने अथवा अधिरोपित शर्तों के अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित की जावेगी, तो वे आवेदक संस्थान को मान्य होंगी।


प्रकरण में उक्त शर्तों के अधीन अभयारण्य क्षेत्र में पीने के पानी की भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा उक्त शर्तों का पालन करने संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करने उपरांत वरिष्ठ को औपचारिक स्वीकृति जारी करने बावत् लेख किया जावेगा। प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पूर्व कार्य प्रारंभ न किया जावे।

  
(सुधांशु यादव)  
वनमंडल अधिकारी  
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल  
सागर (म.प्र.)

पू.क्रमांक/मा.चि./2022/4591

सागर, दिनांक : 21-11-22

- प्रतिलिपि :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
  2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
  3. कलेक्टर, जिला सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  4. उपवनमंडल अधिकारी (व.प्रा.), बरमान की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
  5. गेम परिक्षेत्र अधिकारी, सर्ग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

  
वनमंडल अधिकारी  
नौरादेही (व.प्रा.) वनमंडल  
सागर (म.प्र.)